15260000000124.

रा.मु उदयपुर.

591

FORM NO. III 31/16 5/1/18 7/12/16

AAPLA Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

8/2/18 27/3/17

11/5/17

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बानसूर

रामूराम बनाम रामकरण वगैरा

केस्म मुकदमा 212 R.T.Act नं. 31/16 सन् 2016

22.3.18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/10/16	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे / अप्रार्थीगण के तलबाना जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25/10/16 को पेश हो / Dw	
25/10/16	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर राजकार्य में व्यस्त है। 45 रिपोर्ट है / पत्रावली दिनांक 7/12/16 को पेश हो। B	
7/12/16	पत्रावली पेश हुई / 80 पचोदक प्र. पर रिपोर्ट हो पत्रावली दिनांक 5/1/17 को पेश हो / B	
5/1/17	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/1/17	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:05:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

5/2/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली मे बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेघाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओ पर पत्रावली का अवलोकन किया :–

1. प्रथम दृष्टतया मामला :– राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होता है।
2. सुविध का संतुलन :–प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविध्रा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है।
3. अपूरनीय क्षति :– प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्व करना है परंन्तु राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह सिद्व होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थिगण दोनो को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओ के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा भगवानसागर पटवार हल्का ठाडिया तहसील चामू जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 365 की भूमि के राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेद्याज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-

...अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:05:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner